फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,

रिलाईन्स होम फाईनेन्स लि. बनाम सागरमल परवाल

प्रकरण संख्या : 297 / 2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
15.11.2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया । प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से धारा 14 सरफेसी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना के साथ प्रस्तुत 13 (2) का नोटिस दिनांक 08.06.2021 को ऋणी सागरमल व सह ऋणी रीना माहेश्वरी को जारी किया गया है। जबकि प्रार्थना पत्र में ऋणी सागर मल को मृतक बताया है। मृतक के समस्त विधिक वारिसान को दिये गये 13(2) के नोटिस की प्रति आज दिनांक तक पेश नहीं की गई है। अतः प्रार्थी बैंक की ओर से धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट–2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी वित्तीय बैंक बाद पूर्ति नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	